पत्र संख्या– 1/प्रा0आ0–0–3–23/2018 (खंड)/ ....50......... /आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

एम0 रामचन्द्रुडु,
अपर सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
जहानाबाद/मधेपुरा/औरंगाबाद/सारण/बेगूसराय/नालंदा/वैशाली/गया/जमुई/पश्चिम चम्पारण/नवादा/सिवान/सुपौल/मुजफ्फरपुर/बक्सर/शेखपुरा।

पटना–15, दिनांक–15/11/18

विषयः– वर्त्तमान वित्तीय वर्ष–2018–19 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्य भीर्श–2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्यशीर्ष –02–बाढ़ –चक्रवात आदि, लघु शीर्ष –101– आनुग्रहिक राहत, उपशीर्ष –0016– राज्य की स्थानीय प्रकृति की आपदाओं से राहत हेतु अनुदान विपत्र कोड–39–2245021010016 मद में कुल ₹600.723 लाख (छः करोड़ बहत्तर हजार तीन सौ रूपये) मात्र आवंटन की स्वीकृति।

आदेशः– स्वीकृत ।

2. इस राशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018–19 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्यशीर्ष –2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्यशीर्ष –02–बाढ़ –चक्रवात आदि, लघु शीर्ष –101– आनुग्रहिक राहत, उपशीर्ष –0016– राज्य की स्थानीय प्रकृति की आपदाओं से राहत हेतु अनुदान के अन्तर्गत प्रथम अनुपूरक आगणन द्वारा उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. वर्त्तमान आवंटित राशि की विवरणी लघुशीर्ष / उपशीर्षवार निम्न प्रकार है :

लघुशीर्ष –101– आनुग्रहिक राहत ।
उपशीर्ष –0016– राज्य की स्थानीय प्रकृति की आपदाओं से राहत हेतु अनुदान
मांग संख्या– 39 विस्तृत शीर्ष– 37–अनुग्रह अनुदान, विषय शीर्ष– 01–अनुग्रह अनुदान

(राशि रूपये लाख में)

क्र0	जिला का नाम	पूर्व आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि
1	2	3	4	5
1	जहानाबाद	88.00 (अठासी लाख)	44.00 (चौवालीस लाख)	132.00 (एक करोड़ बत्तीस लाख)
2	मधेपुरा	213.113 (दो करोड़ तेरह लाख ग्यारह हजार तीन सौ)	48.00 (अड़तालीस लाख)	261.113 (दो करोड़ इकसठ लाख ग्यारह हजार तीन सौ)
3	औरंगाबाद	276.55 (दो करोड़ छिहत्तर लाख पचपन हजार)	24.00 (चौबीस लाख)	300.55 (तीन करोड़ पचपन हजार)
4	सारण	168.381 (एक करोड़ अड़सठ लाख अड़तीस हजार एक सौ)	40.00 (चालीस लाख)	208.381 (दो करोड़ आठ लाख अड़तीस हजार एक सौ)
5	बेगूसराय	248.00 (दो करोड़ अड़तालीस लाख)	28.00 (अठाईस लाख)	276.00 (दो करोड़ छिहत्तर लाख)
6	नालंदा	524.815 (पाँच करोड़ चौबीस लाख इक्यासी हजार पाँच सौ)	100.467 (एक करोड़ छियालीस हजार सात सौ)	625.282 (छः करोड़ पच्चीस लाख अठाईस हजार दो सौ)
7	वैशाली	217.20 (दो करोड़ सतरह लाख बीस हजार)	16.00 (सोलह लाख)	233.20 (दो करोड़ तेतीस लाख बीस हजार)
8	गया	104.258 (एक करोड़ चार लाख पच्चीस हजार आठ सौ)	8.086 (आठ लाख आठ हजार छः सौ)	112.344 (एक करोड़ बारह लाख चौतीस हजार चार सौ)

9	जमुई	44.80 (चौवालीस लाख अस्सी हजार)	12.00 (बारह लाख)	56.80 (छप्पन लाख अस्सी हजार)
10	पश्चिम चम्पारण	44.00 (चौवालीस लाख)	4.00 (चार लाख)	48.00 (अड़तालीस लाख)
11	नवादा	68.00 (अड़सठ लाख)	12.00 (बारह लाख)	80.00 (अस्सी लाख)
12	सिवान	48.00 (अड़तालीस लाख)	88.00 (अठासी लाख)	136.00 (एक करोड़ छत्तीस लाख)
13	सुपौल	160.00 (एक करोड़ साठ लाख)	24.00 (चौबीस लाख)	184.00 (एक करोड़ चौरासी लाख)
14	मुजफ्फरपुर	524.00 (पाँच करोड़ चौबीस लाख)	28.17 (अठाईस लाख सतरह हजार)	552.17 (पाँच करोड़ बावन लाख सतरह हजार)
15	बक्सर	84.00 (चौरासी लाख)	120.00 (एक करोड़ बीस लाख)	204.00 (दो करोड़ चार लाख)
16	शेखपुरा	56.00 (छप्पन लाख)	4.00 (चार लाख)	60.00 (साठ लाख)
कुल योग		2869.117 (अठाईस करोड़ उनहत्तर लाख ग्यारह हजार सात सौ)	600.723 (छः करोड़ बहत्तर हजार तीन सौ)	3469.84 (चौतीस करोड़ उनहत्तर लाख चौरासी हजार)

4. यह आवंटन जिला पदाधिकारी, जहानाबाद के पत्रांक 349 दिनांक 17.09.18 एवं 418 दिनांक 12.10.18/मधेपुरा के पत्रांक 817 दिनांक 25.09.18, 848 दिनांक 03.10.18, 757 दिनांक 10.09.18, 786 दिनांक 18.09.18, 788 दिनांक 18.09.18, 787 दिनांक 18.09.18, 759 दिनांक 10.09.18, 763 दिनांक 10.09.18 एवं 755 दिनांक 10.09.18/औरंगाबाद के पत्रांक 22 दिनांक 29.09.18/सारण के पत्रांक 14 दिनांक 19.09.18 एवं 834 दिनांक 03.10.18/बेगूसराय के पत्रांक 647 दिनांक 28.09.18/नालंदा के पत्रांक 1049 दिनांक 01.10.18/वैशाली के पत्रांक 824 दिनांक 17.09.18, 827 दिनांक 19.09.18 एवं 846 दिनांक 26.09.18/ गया के पत्रांक 3120 दिनांक 24.09.18 एवं 3308 दिनांक 05.10.18 /जमुई के पत्रांक 244 दिनांक 26.09.18 एवं 232 दिनांक 07.09.18/पश्चिम चम्पारण के पत्रांक 275 दिनांक 19.05.18/ नवादा के पत्रांक 355 दिनांक 24.09.18, 356 दिनांक 24.09.18 एवं 357 दिनांक 24.09.18/ सिवान के पत्रांक 751 दिनांक 28.09.18, 754 दिनांक 28.09.18, 749 दिनांक 28.09.18, 750 दिनांक 28.09.18, 725 दिनांक 24.09.18, 729 दिनांक 25.09.18, 730 दिनांक 25.09.18, 731 दिनांक 25.09.18, 748 दिनांक 28.09.18, 701 दिनांक 15.09.18, 710 दिनांक 18.09.18, 709 दिनांक 18.09.18, 700 दिनांक 15.09.18, 778 दिनांक 08.10.18, 767 दिनांक 03.10.18 एवं 783 दिनांक 08.10.18/सुपौल के पत्रांक 1014 दिनांक 17.09.18/मुजफ्फरपुर के पत्रांक 1379 दिनांक 27.09.18/बक्सर के पत्रांक 198 दिनांक 09.10.18/शेखपुरा के पत्रांक 276 दिनांक 07.10.18 द्वारा की गई अधियाचना के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। **जिला पदाधिकारियों से अनुरोध है कि वे विभागीय अधिसूचना संख्या 1418/आ0प्र0 दिनांक 17.04.15 एवं 1891/आ0प्र0 दिनांक 16.07.18 के आलोक में स्वयं संतुष्ट हो लें कि 'घटना राज्य की विशेष स्थानीय प्रकृति की आपदाओं की श्रेणी में ही आती है।' संतुष्ट होने के उपरान्त राज्य की विशेष स्थानीय प्रकृति की आपदा की श्रेणी की घटना के लिए ही राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जाय। मृत व्यक्तियों के आश्रितों /घायल को इस राशि का भुगतान कर विभाग को इसकी सूचना अविलम्ब दी जाय।**

5 आवंटित राशि का व्यय उसी मद में किया जाय जिस मद के लिए राशि का आवंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नही किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।

6. आपदा प्रभावित परिवारों को देय अनुदान की राशि का भुगतान करने के संबंध में विभागीय पत्रांक 1642/आ0प्र0 दिनांक 22.04.16 द्वारा निर्गत निदेश का पालन सुनिश्चित किया जाय।

7 आवंटित की गई राशि की निकासी यथासंभव Fully Vouched Bill के माध्यम से ही की जाय। अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए0सी0 विपत्र के माध्यम से की जाय। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी0सी0 बिल महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धरित समय सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति, व्यय प्रतिवेदन एवं भारत सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र इस विभाग को शीघ्रातिशीघ्र एवं अचूक रूप से दिनांक 15.03.2019 तक अवश्य भेज दिया जाय।

8. पूर्व आवंटित राशि, जिसकी निकासी अग्रिम तौर पर की गई है, यदि पूर्णतः व्यय नही हो पाय, तो

15.03.2019 तक उसे कोषागार में जमा करा दिया जाय।

9. आवंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/ उप मुख्य शीर्ष– लघु शीर्ष/ उपशीर्ष तथा विपत्र कोड का उल्लेख स्पष्ट रूप से की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष/ उपशीर्ष का मुहर लगाया जाय अन्यथा आंकड़े के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

10. इस राशि का व्यय वित्त विभागीय ज्ञापांक 2561/वि0(2) दिनांक–17.04.98 के आलोक में की जाय। व्यय की गई राशि का महालेखाकार कार्यालय से नियमित रूप से मिलान कराया जाय।

11. यदि उपरोक्त आवंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके, तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक 15.03.2019 तक निश्चित रूप से कर दें अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।

12. इस आवंटन आदेश के प्राप्ति के पश्चात पत्र की एक प्रति पर ''आवंटन प्राप्त हुआ'', यह सम्पुष्टि उल्लिखित करते हुए तुरंत रिटर्न फैक्स से विभाग को सूचित किया जाय।

13. इस आवंटन की सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना, वित्त विभाग (बजट) को भी दी जा रही है। इसकी प्रतिलिपि संबंधित कोषागार पदाधिकारी को दी जा रही है।

14. मासिक व्यय प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 7वीं तारीख तक अनिवार्य रूप से भेजना सुनिश्चित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

15/11/18

अपर सचिव

ज्ञापांक–.........50........./आ0प्र0, पटना–15, दिनांक– 15/11/18

प्रतिलिपिः महालेखाकार, बिहार, पटना/ वित्त विभाग (बजट) पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

15/11/18

अपर सचिव

ज्ञापांक–.........50........./आ0प्र0, पटना–15, दिनांक– 15/11/18

प्रतिलिपिः संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/11/18

अपर सचिव

ज्ञापांक–.........50........./आ0प्र0, पटना–15, दिनांक– 15/11/18

प्रतिलिपिः संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/11/18

अपर सचिव

ज्ञापांक –.........50........./आ0प्र0, पटना–15, दिनांक– 15/11/18

प्रतिलिपिः माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

15/11/18

अपर सचिव

ज्ञापांक–.........50........./आ0प्र0, पटना–15, दिनांक– 15/11/18

प्रतिलिपिः विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ विशेष कार्य पदाधिकारी (बजट)/सांख्यिकी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी (बजट)/ कार्यवाह सहायक/ आई0टी0 मैनेजर/प्रभारी, राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/11/18

अपर सचिव